पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 की विविध अपील सं. 647

==========

वियाहल कुमार उर्फ गुड्डू, पिता- स्वर्गीय इंद्र मोहन प्रसाद, निवासी- ठाकुर बारी रोड, किशनगंज, थाना- किशनगंज, जिला- किशनगंज।

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

ऋचा साह उर्फ गुड़िया, पति- विशाल कुमार, पिता- स्वर्गीय विनोद प्रसाद साह, निवासी- सिनेमा रोड, गुलाबबाग, थाना- सदर, जिला-पूर्णिया।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री तेज प्रताप सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिएः कोई नहीं

==========

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

• पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1)

संदर्भित मामले:

• समर घोष बनाम जया घोष 2007 में रिपोर्ट किया गया (4) एससीसी 511

अपील - उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें अपीलकर्ता-पति द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु तलाक की डिक्री के लिए दायर वैवाहिक वाद को खारिज कर दिया गया था।

निष्कर्ष - अपीलकर्ता-पति को दांपत्य जीवन से वंचित करने के आरोप के संदर्भ में यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि स्वयं अपीलकर्ता-पति ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वे प्रतिवादी-पत्नी के ससुराल में रहने के दौरान पति-पत्नी की तरह रहे। साथ ही, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब प्रतिवादी-पत्नी अपने मायके चली गई, तब अपीलकर्ता-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया। (पैरा 22)

अपीलकर्ता- पति प्रतिवादी-पत्नी द्वारा अपने और अपने परिवार के प्रति क्रूर व्यवहार को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर साबित करने में असफल रहा है। इस मामले में, चूंकि तलाक की मांग प्रतिवादी-पत्नी के क्रूर व्यवहार के आधार पर की गई थी, इसलिए क्रूरता साबित करने का पूरा भार अपीलकर्ता-पति पर था। इसके अलावा, पति-पत्नी के दांपत्य जीवन में कभी-कभी मामूली कृत्य या चूक, कुछ कठोर शब्दों या धमकियों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसे तलाक के लिए वैध और स्थायी आधार नहीं माना जा सकता। किसी भी पक्ष द्वारा दी गई तुच्छ टिप्पणियां, धमकी या कठोर शब्दों का प्रयोग, जो केवल अस्थायी प्रतिक्रिया हो, उसे तलाक की डिक्री के लिए आवश्यक कानूनी क्रूरता नहीं माना जा सकता। किसी व्यक्ति के स्वभाव की कठोरता, व्यवहार में चिड़चिड़ापन और भाषा की कठोरता विभिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीवन स्तर, शैक्षिक योग्यता और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भिन्न हो सकती है। (पैरा 23)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 25)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. सिंह

सीएवी निर्णय

(**माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. सिंह द्वारा**)

<u>तारीखः 17-01-2025</u>

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना। हालाँकि, प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के तहत दायर की गई है, जिसमें वैवाहिक मामला संख्या 145/2012 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, किशनगंज द्वारा पारित दिनांक 11.04.2017 के फैसले पर आक्षेप किया गया है, जिसके तहत वैवाहिक मुकदमा, तहत वैवाहिक मामला संख्या 145/2012 को निरस्त कर दिया गया था। अपीलार्थी-पति द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए, क्रूरता और त्याग के आधार पर, खारिज कर दिया गया है और अपीलकर्ता-पति पर 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे प्रत्यर्थी-पत्नी को चुकाया जाना है।

3. पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के अनुसार अपीलार्थी-पति का मामला यह है कि प्रतिवादी-पत्नी के साथ अपीलार्थी-पति का विवाह हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार किशनगंज में 12.05.2009 को संपन्न हुआ था। विवाह के शुरुआत से ही, प्रत्यर्थी-पत्नी का अपीलार्थी-पति के प्रति व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं था क्योंकि वह हमेशा "*नैहर*" (माता-पिता का स्थान) जाने के लिए उपद्रव पैदा कर रही थी और वह अपीलार्थी-पति पर किशनगंज की संपत्ति बेचने और गुलाबबाग, पूर्णिया में बसने के लिए दबाव डाल रही थी। उत्तरदाता-पत्नी वर्ष 2010 में गर्भवती हुई, वह गुलाबबाग गई और 15.09.2010 पर एक बेटे तेजास को जन्म दिया। बेटे

के जन्म के बाद, प्रतिवादी-पत्नी 2011 में किशनगंज में वापस लौट आई और रहने लगी। जब वह फिर से गर्भवती हुई, तो उसने फिर से अपीलार्थी-पति पर दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए अपने माता-पिता के घर जाने का दबाव डाला और अपीलार्थी-पति के विरोध के बावजूद, उसने किशनगंज में अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और 14.08.2011 पर पूर्णिया में अपने माता-पिता के घर चली गई और तब से, प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति को छोड़ दिया। अपीलार्थी-पति ने प्रत्यर्थी-पत्नी को उसके वैवाहिक घर वापस लाने के लिए अपने सभी प्रयास किए, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे। प्रत्यर्थी-पत्नी और अन्य ससुराल वालों ने भी अपीलार्थी-पति को स्थायी गुजारा भत्ता के लिए सहमत नहीं होने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। इसलिए, विवाह विच्छेद के लिए वैवाहिक मामला संख्या 145/2012 दायर किया गया था।

4. उपरोक्त मामला दायर करने के बाद, ओ.पी./प्रतिवादी अदालत द्वारा जारी समन/नोटिस के जवाब में पेश हुई और अपना जवाब/लिखित बयान दायर किया।

5. अपने लिखित बयान में, प्रत्यर्थी-पत्नी ने कहा है कि उसने अपीलार्थी-पति के साथ शादी की और विवाह से दो पुरुष बच्चों का जन्म हुआ। उसने आगे आरोप लगाया कि उसकी शादी के तुरंत बाद, अपीलकर्ता-पति और उसके परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने सोने और चांदी की वस्तुएं नहीं लाने के लिए टिप्पणी करना शुरू कर दिया और वे रुपये के अतिरिक्त 10 लाख दहेज की मांग कर रहे थे। उन्होंने मानसिक और शारीरिक यातना देना शुरू कर दिया और इसके लिए प्रतिवादी-पत्नी ने आपराधिक मामला नं. 2453/13 भारतीय दंड मामले की धारा 498 (ए) के तहत और वह मामला अभी भी एस जे डी एम पूर्णिया की अदालत में लंबित है। विवाह के सभी उपहार अपीलार्थी-पति द्वारा उसके वैवाहिक स्थान पर छीन लिए गए थे और उसे अपने दोनों बच्चों के साथ वैवाहिक स्थान से बाहर निकाल दिया गया था। उत्तरदाता-पत्नी अपने माता-पिता के घर पर बहुत दर्दनाक जीवन जी रही है और वह खुद मानसिक क्रूरता और दर्द से पीड़ित है। प्रतिवादी-पत्नी अपने सर्वोत्तम शारीरिक प्रयास और मानसिक स्थिति के साथ स्वस्थ दिमाग की है और वह असामान्य नहीं है और वह किसी भी बीमारी से संक्रमित नहीं है,

इसलिए, अपीलार्थी-पति के साथ तलाक का कोई आधार नहीं है। प्रत्यर्थी-पत्नी तलाक नहीं चाहती क्योंकि उसे अपीलार्थी-पति से दो बच्चे हुए हैं और वह उसके साथ अपना वैवाहिक जीवन बिताना चाहती है। अदालत द्वारा 18.12.2013 पर परामर्श के समय, प्रत्यर्थी-पत्नी ने भी अपनी सहमति दी कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन यह अपीलार्थी-पति था जो प्रत्यर्थी-पत्नी को पत्नी के रूप में अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। अपीलार्थी-पति का ऐसा रवैया और व्यवहार यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त है कि वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं है और आक्रामक है। प्रत्यर्थी-पत्नी ने इन आरोपों से भी इनकार किया कि वह "*नैहर*" जाने के लिए उपद्रव पैदा कर रही थी और वह अपीलार्थी-पति पर किशनगंज की संपत्ति बेचने और गुलाबबाग में बसने का दबाव बना रही थी। यह सच है कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपने माता-पिता के घर पर अपने दोनों बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन यह अपीलार्थी-पति की सहमति से किया गया था। प्रतिवादी-पत्नी ने कभी भी अपीलार्थी को पति किशनगंज में अपना घर बेचकर गुलाबबाग, पूर्णिया में बसने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने आगे इस बात से इनकार किया कि उसने 14.08.2011 पर अपीलार्थी-पति को छोड़ दिया और टेलीफोन पर अपीलार्थी-पति के साथ गंदी भाषा में बात की। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसकी माँ और भाई ने अपीलकर्ता-पति को धमकी दी थी। उन्होंने प्रार्थना की कि विवाह के विघटन के लिए दायर अपीलार्थी के वैवाहिक मामले को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए।

6. प्रतिद्वंद्वी दलीलों और अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों के साथ-साथ अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

(i) क्या अपीलार्थी अपनी अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना का विवादित निर्णय कानून की नजर में न्यायसंगत, उचित और संधारणीय/मान्य है।

7. प्रतिवादी -पत्नी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता है। इसलिए, मामले का एकतरफा फैसला किया जाता है।

8. अपीलार्थी-पति ने प्रत्यर्थी-पत्नी के खिलाफ तलाक की डिक्री मांगने के लिए क्रूरता के आधार पर जोर दिया है। अपीलार्थी-पति ने तलाक के लिए अपनी याचिका के पैरा 3 में प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी-पत्नी का व्यवहार शुरू से ही अपीलार्थी-पति के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं था क्योंकि वह हमेशा "*नैहर*" (माता-पिता का स्थान) जाने के लिए उपद्रव पैदा कर रही थी और वह अपीलार्थी-पति पर किशनगंज की संपत्ति बेचने और गुलाबबाग, पूर्णिया में बसने के लिए दबाव डाल रही थी। अपीलार्थी-पति के पूरे मामले से यह प्रतीत होता है कि केवल दूसरे बेटे के जन्म के अवसर पर, प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति पर उसे उसके माता-पिता के घर भेजने का दबाव डाला और अपीलार्थी-पति द्वारा इनकार किए जाने के बावजूद, वह 14.08.2011 पर अपनी माँ के साथ अपीलार्थी-पति का घर छोड़ गई। ले किन प्रतिवादी-पत्नी के साक्ष्य पर विचार करते हुए, जिसने खुद को डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में जांच की है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने साक्ष्य के पैरा 1 में कहा है कि दोनों बच्चों के जन्म के समय, अपीलार्थी-पति ने स्वयं वाहन किराए पर लिया था और प्रतिवादी-पत्नी को उसके माता-पिता के घर पर छोड़ दिया। हालांकि, प्रतिवादी-पत्नी की ओर से इस तरह के एकल कार्य या उदाहरण को कभी भी तलाक के उद्देश्य से क्रूरता के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अपीलार्थी-पति ने अपने बयान के पैरा 4 में कहा है कि प्रतिवादी-पत्नी किशनगंज में अपने वैवाहिक घर में शांति से रहने के लिए तैयार नहीं थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी-पति प्रतिवादी-पत्नी द्वारा क्रूरता का कोई विशिष्ट आधार नहीं लेकर आया है। इसके अलावा, अपीलार्थी-पति ने अपने साक्ष्य के पैरा 6 में कहा है कि चूंकि 14.08.2011, प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति को छोड़ दिया और यहां तक कि टेलीफोन पर बातचीत करने पर भी उसने अपीलार्थी-पति के खिलाफ गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया जो उसके द्वारा विधिवत रिकॉर्ड किया गया है। अपीलार्थी-पति ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी-पत्नी रूखी जुबान वाली महिला है और वह ऐसे

अपमानजनक शब्दों से बात करती थी जिसे एक समझदार पुरुष बर्दाश्त नहीं कर सकता और प्रत्यर्थी-पत्नी का ऐसा व्यवहार और आचरण अपीलार्थी-पति के लिए घोर मानसिक क्रूरता के बराबर था। अपीलकर्ता-पति और प्रतिवादी-पत्नी के बीच मोबाइल पर किए गए संवाद की सी.डी. और सी.डी. की टेक्स्ट कॉपी भी पी.डब्लू. 5 सुब्रतो रे के एक्सटेंशन 1 और 1/ए के औपचारिक साक्ष्य के आधार पर रिकॉर्ड पर लाई गई है। प्रतिपरीक्षा के दौरान पी. डब्ल्यू. 5 ने पैरा 5 में कहा है कि उसके पास मोबाइल से सी. डी. तैयार करने की कोई डिग्री या तकनीकी योग्यता नहीं है जो स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि यह एक बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और जब तक कि सक्षम तकनीशियन द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है कि ध्वनि उस व्यक्ति की मूल ध्वनि है- साक्ष्य को उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है जिसकी आवाज विवाद में है। इस मामले में, यह भी प्रासंगिक है कि प्रतिवादी-पत्नी ने स्वयं अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसका पति उसे गाली देने के लिए मजबूर करता था और वह उन अपमानजनक शब्दों को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करता था। उसने आगे इस तथ्य से इनकार किया है कि उसने कभी अपने पति से कहा कि वह उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और वह गुजारा भत्ता चाहती है। उसके बयान का पैरा 2 में साफ तौर पर कहा है कि वह अपने पति के साथ उसके घर पर रहना चाहती है। केस रिकॉर्ड से यह भी प्रतीत होता है कि मध्यस्थता केंद्र के समक्ष परामर्श के समय, वह भी सहमत हो गई और अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह अपने पति-अपीलार्थी के साथ रहना चाहती है।

9. पी. डब्ल्यू. 1 कमल रे अपीलार्थी-पति का मित्र है, जिसने पैरा 15 में अपनी जिरह में बयान दिया है कि वह अपीलार्थी-पति और प्रतिवादी-पत्नी के बीच विवाद और झगड़े का कारण नहीं जानता है। आगे पैरा 17 में, उन्होंने अपदस्थ किया कि वह पति और पत्नी के बीच झगड़े का आंतरिक कारण नहीं बता सकते। तथापि, अपने मुख्य परीक्षण में, पीडब्लू. 1 ने अपीलार्थी-पति के मामले का समर्थन किया है और पैरा 4 में कहा है कि प्रत्यर्थी-पत्नी का व्यवहार अपीलार्थी-पति के परिवार के सदस्यों के साथ कभी अच्छा नहीं था। उन्होंने पैरा 7 में आगे कहा

कि उन्हें पता चला कि प्रतिवादी-पत्नी अब किसी भी परिस्थिति में अपीलार्थी-पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और वह गुजारा भत्ता की एकमुश्त राशि मिलने के बाद तलाक चाहती है। पैरा 8 में, उसने बयान दिया है कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज का आपराधिक मामला भी दायर किया है।

10. इस गवाह का साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता है क्योंकि यह गवाह यह कहने में सक्षम नहीं है कि प्रतिवादी-पत्नी अपीलार्थी-पति से तलाक चाहती है और उपरोक्त तथ्यों पर उसके साक्ष्य का कोई आधार नहीं है। गवाह ने यह नहीं कहा है कि किसी भी अवसर पर, उसने प्रतिवादी-पत्नी के मुंह से कोई अपमानजनक शब्द सुना है।

11. पी. डब्ल्यू. 2 सुभाष प्रसाद ने भी अपीलार्थी-पति के मामले का समर्थन किया है और अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह अपीलार्थी-पति का चचेरा भाई है। इस गवाह की पूरी जिरह से भी यह प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी-पति और प्रतिवादी-पत्नी के बीच झगड़े का वास्तविक कारण क्या था। गवाह ने यह भी नहीं कहा है कि किसी भी अवसर पर, प्रतिवादी-पत्नी अपीलार्थी-पति या उसके के परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया।

12. पी. डब्ल्यू. 3 रत्तीराम सोनार अपीलार्थी-पति के परिवार के लिए भी अजनबी है, जिसने उसी चीज़ को अपदस्थ कर दिया है जिसे पी. डब्ल्यू. 1 और 2 द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। उसने पैरा 14 में अपनी जिरह में कहा है कि पड़ोसी दुकानदार होने के कारण, वह आमतौर पर अपीलार्थी-पति के पारिवारिक मामलों में लिप्त रहता था। उन्होंने पैरा 16 में कहा है कि एक अवसर पर, प्रतिवादी-पत्नी और अपीलकर्ता-पति एक-दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे और वे एक-दूसरे को गाली दे रहे थे और जब उसने हस्तक्षेप किया, तो प्रतिवादी-पत्नी ने उससे कहा कि यह उसका और उसके पति का आंतरिक मामला है और उसे उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस गवाह के साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होता है कि प्रतिवादी-पत्नी ने इस गवाह के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा इस गवाह के साक्ष्य के पैरा 16 से

यह भी प्रतीत होता है कि अपीलार्थी-पति और प्रतिवादी-पत्नी, दोनों एक-दूसरे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और इसलिए, केवल प्रतिवादी-पत्नी द्वारा अपीलार्थी-पति के प्रति कुछ अपशब्दों का प्रयोग करने के आधार पर क्रूरता के आधार पर बल नहीं मिलता है।

13. यह आगे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी-पति का कोई अन्य परिवार का सदस्य प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा अपीलार्थी-पति के खिलाफ क्रूरता के मामले का समर्थन करने के लिए सामने नहीं आया है। यह भी सबूत में आया है कि अपीलार्थी के अपने दो भाई और अपीलार्थी-पति के दो बहनोई भी किशनगंज में रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपीलार्थी-पति के मामले का समर्थन करने नहीं आया है। इसलिए, इन साक्ष्यों के आलोक में, नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय की राय थी कि प्रतिवादी-पत्नी के व्यवहार को इस हद तक गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि वह तलाक के लिए क्रूरता का आधार बन जाए।

14. जहाँ तक त्याग के आधार का संबंध है, अपीलार्थी-पति के पूरे मामले से, यह प्रतीत होता है कि केवल एक अवसर पर 14.08.2011 को प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति के विरोध के बावजूद अपीलार्थी-पति का घर छोड़ दिया और उस अवसर पर, वह अपनी दूसरी गर्भ से थी और वह अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी माँ के साथ अपीलार्थी-पति का घर छोड़ कर अपनी माँ के घर चली गई। अपीलार्थी ने दावा किया कि दूसरे बच्चे के जन्म के बाद, अपीलार्थी-पति अपने ससुराल गया और उसे वहां प्रताड़ित किया गया और अपीलार्थी-पति के ससुराल वालों ने उसे प्रतिवादी-पत्नी का स्थान छोड़ने के लिए कहा। अपीलार्थी-पति ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 9 में इस तथ्य का समर्थन किया है और कहा है कि उस घटना के कारण उनका विश्वास ख़त्म हो गया और उन्होंने फैसला किया कि अब उनके पास प्रतिवादी-पत्नी को तलाक देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। अपनी जिरह में, अपीलार्थी-पति ने पैरा 18 में कहा है कि अब वह अपनी प्रतिवादी-पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है और न ही वह किसी समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने पैरा 19 में आगे कहा है कि वह अपने दोनों

बेटों को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी को किसी भी शर्त पर रखने के लिए तैयार नहीं है।

15. नीचे दिए गए विद्वत न्यायालय ने प्रत्यर्थी-पत्नी के त्याग के बिंदु पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद पाया कि उसने कहा है कि यह तथ्य नहीं है कि दोनों बेटों के जन्म के अवसर पर, वह अपीलार्थी-पति द्वारा आपत्ति के बावजूद अपने "नैहर" गई थी। वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलार्थी-पति ने स्वयं वाहन किराए पर लिया और उसे उसके माता-पिता के घर पर छोड़ दिया। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में कहा है कि उसके दूसरे बेटे का जन्म दिनांक 09.12.2012 पर हुआ था और उसके जन्म के बाद वह लगभग पांच से छह महीने तक माता-पिता के घर पर रही और उसने पैरा 6 में कहा है कि पिछले अवसर पर आईडी 2 पर वह अपीलार्थी-पति का घर छोड़ कर चली गई थी क्योंकि उस समय उसका दूसरा बेटा बीमार था और वह उसके इलाज के लिए पूर्णिया आती थी और वह हमेशा अपीलार्थी के घर जाती थी और अपीलार्थी-पति उसे अपने वैवाहिक घर में रहने की अनुमति नहीं देता था।

16. हिंदू विवाह अधिनियम के तहत परित्याग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम के तहत पूर्ण परित्याग के लिए परित्याग करने वाले पति या पत्नी की ओर से वैवाहिक घर में कभी वापस न लौटने की मंशा होनी चाहिए और ऐसा परित्याग परित्यक्त व्यक्ति की सहमति के बिना होना चाहिए। साथ रहने और उससे अलग होने की मंशा भी होनी चाहिए।

17. इस मामले में, प्रत्यर्थी-पत्नी के अपने माता-पिता के घर जाने का कारण यह था कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने पहले की तरह दूसरी गर्भावस्था को जन्म दिया, उसने अपने माता-पिता के घर पर अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, इसलिए, अपने माता-पिता के घर पर बेटे के जन्म के लिए उसकी सुविधा को अपीलार्थी-पति द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और प्रत्यर्थी-पत्नी के ऐसे कार्य को कभी भी अपीलार्थी-पति के त्याग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

18. परित्याग के ठोस सबूत के लिए, प्रतिवादी-पत्नी की ओर से विवाह-विच्छेद की *शत्रुता अवश्य* होनी चाहिए और न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर, नीचे दिए गए विद्वत न्यायालय ने प्रतिवादी-पत्नी की ओर से कोई शत्रुतापूर्ण इच्छा नहीं पाई और प्रतिवादी-पत्नी अभी भी अपीलार्थी-पति के घर जाती है और वह हमेशा अपीलार्थी-पति के साथ रहने के लिए तैयार रहती है और इसलिए, नीचे दिए गए विद्वत न्यायालय को ऐसे आधार पर भी कोई बल नहीं मिला और विवाह के विघटन के लिए दायर वैवाहिक मामले को खारिज कर दिया।

19. तथापि, अपीलार्थी-पति के विद्वान वकील, इस आधार पर विवादित फैसले पर हमला करते हैं कि विद्वान परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी-पति की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की ठीक से सराहना नहीं की है और याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया है कि कोई आधार साबित नहीं हुआ है। वह प्रस्तुत करता है कि साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी-पति ने साबित कर दिया है कि प्रतिवादी-पत्नी ने उसके खिलाफ क्रूरता की है क्योंकि उसने अपने माता-पिता के घर वापस जाकर उसे उसके वैवाहिक सहवास से वंचित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार अपीलकर्ता-पति ने साबित कर दिया है कि प्रतिवादी-पत्नी ने 2012 से उसे छोड़ दिया है और हमेशा उसके और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है।

20. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन और अपीलार्थी-पति के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि जहां तक तलाक लेने के लिए क्रूरता के आधार का संबंध है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 'क्रूरता' शब्द को विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि तलाक की डिक्री देने के लिए क्रूरता की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे पति या पत्नी के मन में एक उचित आशंका पैदा करती है कि प्रतिवादी-पत्नी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और नुकसानदेह होगा।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष के प्रमुख मामले में 2007 (4) एस. सी. सी. 511 में बताया कि एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उपचार के बारे में शिकायत की गई और इसके परिणामस्वरूप होने वाला खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और भारी होनी चाहिए। विवाहित जीवन में होने वाली छोटी-मोटी चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, विवाहित जीवन का सामान्य क्षय और आँसू जो दिन-प्रतिदिन के जीवन में होता है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

22. प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा अपीलार्थी-पति को वैवाहिक जीवन से वंचित करने के आरोप के संबंध में, यहां यह विचार करना प्रासंगिक है कि अपीलार्थी-पति ने स्वयं दलील दी है और बयान दिया है कि वे अपने वैवाहिक घर में रहने के दौरान पति और पत्नी की तरह रहते थे और यह भी विचारणीय तथ्य है कि जब प्रत्यर्थी-पत्नी अपने माता-पिता के घर वापस गई, तो अपीलार्थी-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर करके वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है।

23. उपरोक्त चर्चित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी-पति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रतिवादी-पत्नी के क्रूर व्यवहार को ठोस, सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता साबित करने का भार अपीलकर्ता पर है। क्योंकि उसने प्रत्यर्थी-पत्नी के क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक से राहत मांगी है। इसके अलावा, कुछ तुच्छ कार्य या चूक या कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का उपयोग कभी-कभी पति और पत्नी के दिन-प्रतिदिन के वैवाहिक जीवन में दूसरे जीवनसाथी को बदला देने के लिए हो सकता है, लेकिन यह तलाक लेने के लिए एक उचित/संधारणीय नहीं हो सकता है। कुछ तुच्छ बयान या टिप्पणियों या केवल एक पति या पत्नी को दूसरे को धमकी देने को क्रूरता की डिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो तलाक की डिक्री के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। स्वभाव और व्यवहार की कठोरता, तरीके

की कठोरता और भाषा की कठोरता अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए और पले-बढ़े, जीवन के अलग-अलग मानकों में रहने वाले, अपनी शैक्षिक योग्यता की गुणवत्ता और समाज में अपनी स्थिति रखने वाले व्यक्ति के अनुसार भिन्न हो सकती है, जिसमें वे जी रहे हैं।

24. इसलिए, हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती, जिसके आधार पर आरोपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जा सके। पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मांग करने वाले अपीलार्थी-पति के वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

25. विवादित फैसले की पुष्टि करते हुए वर्तमान अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(एस. बी. पी. सिंह, न्यायाधीश)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायाधीश)

शागीर/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।